बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)
TINVAT No-10011255025 CIN-U40102BR2012SGCo18495
Website:-www.bsphcl.bih.nic.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

कार्यालय आदेश संख्या 69 /पटना, दिनांक 15-01-/2018

H-VI/Misc (Bonus) -12004/16

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के कंडिका-8 के अनुसार किसी प्रतिष्ठान में एक वितीय वर्ष में न्यूनतम 30 दिनों की सेवा के उपरांत कामगारों को बोनस भुगतान करने का प्रावधान है। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के धारा-10 में अनिवार्य बोनस की अनुमान्यता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है-

"A minimum bonus which shall be 8.33 percent of the salary or wages earned by the employee during the accounting year or one hundred rupees, whichever is higher, whether or not the employer has any allocable surplus in the accounting year."

उक्त प्रावधान के आलोक में पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में भी अनुमान्य कर्मियों को बोनस का भुगतान किया जाता रहा है।

2. The Payment of Bonus (Amendment) Act, 2015 के कंडिका-2(B) द्वारा बोनस के पात्रता के प्रावधान को दिनांक-01.04.2014 के प्रभाव से निम्न रूप में संशोधित किया गया है कि-

'संगठित क्षेत्र के वैसे कामगार जिनका वेतन/पगार रू० 21,000/- से कम है तथा एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 30 दिनों की सेवा किये हों, उन्हें बोनस देय होगा।'

3. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के कण्डिका-2 के उप कण्डिका-21 के अनुसार मासिक वेतन/पगार का अभिप्राय 'मूल वेतन +अनुमान्य मंहगाई भत्ता' से है, इसमें अन्य कोई भत्ता आदि सम्मिलित नही होगा।

4. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक-11.12.2017 को सम्पन्न् 58वी बैठक में विचारोपरान्त संकल्प संख्या 58-12 द्वारा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों में कार्यरत वैसे नियमित कामगार, कंटीजेंट मजदूर एवं कार्यपालक सहायक जिनके लिए विद्युत कम्पनी प्रत्यक्ष नियोक्ता (Direct Employer) है और मासिक वेतन/पगार रू० 21,000/- [बोनस भुगतान (संशोधित) अधिनियम, 2015 के कंडिका 2(B) के तहत] से कम है, को अनिवार्य बोनस भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव उक्त निर्णय के आलोक में बोनस भुगतान (संशोधित) अधिनियम, 2015 के कंडिका 2(B) के तहत रू० 21,000/- (इक्कीस हजार) या कम वेतन/पगार की अधिसीमा के तहत आवृत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों में वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में कार्यरत कंटीजेंट मजदूर, कार्यपालक सहायक एवं सभी नियमित कामगारों को वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए अनिवार्य बोनस (@8.33 percent of the salary or wages) का भुगतान किया जायेगा। परन्तु, वैसे कामगारों जो निलंबित हुए थे/उक्त वित्त वर्ष के बीच में सेवा छोड़ी थी/सेवानिवृत्त हुए थे या मृत्यु हुई थी, को अनिवार्य बोनस का भुगतान नहीं किया जायेगा।

आदेश से,

12.1.18

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्र०)